जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर
69/2016

प्रकरण सं0 69/2016 अनवानी श्री सुनीलकुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक नि. 20 एम.एल.बी तह0 श्रीगंगानगर हाल आबाद नेहरानगर श्रीगंगानगर बनाम 1—राम लाल पुत्र लूणाराम जाति नायक साकिन 20 एम.एल.बी. तह0 श्रीगंगानगर 2—संजयकुमार पुत्र रामलाल 3—संजीव पुत्र रामलाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.12.2016

प्रार्थी श्री सुनिल कुमार के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अतिरिक्त कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील संख्या 64/2014 विचाराधीन है। पूर्व में यह प्रकरण अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर पीठासीन अधिकारी श्री कर्णसिंह गोठवाल के समक्ष लंबित था और श्री कर्णसिंह गोठवाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पद पर रहते हुए उक्त प्रकरण से संबंधीत वादग्रस्त भूमि चक 20 एम एल बी के मु0न0 55/57 कि0न0 13 ता 25 के 12.10 बीघा रकबा के संबंध निर्णय पारित किया था इसलिए श्री कर्णसिंह गोठवाल, अति. जिला कलक्टर (प्र0) की प्रार्थना पर निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से यह अपील प्रकरण अति0 जिला कलक्टर (सत0) श्रीगंगानगर को मुन्तकिल कर दिया था। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सत0) श्रीगंगानगर द्वारा उक्त प्रकरण में बहस सुनी गई किन्तु उनका स्थानान्तरण हो गया। इसलिए प्रकरण का निस्तारण नही हो सका। वर्तमान पीठासीन अधिकारी का कहना है कि उन्हे सुनवाई का अधिकार नही है। इसलिए अपील अन्यत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानान्तरित की जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री कर्णसिंह गोठवाल, अति. जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए उक्त प्रकरण वापिस अति. जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में उक्त अपील प्रकरण श्री कर्णसिंह गोठवाल, अति. जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन थी और उनके द्वारा पूर्व में उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के पद पर रहते हुए विवादग्रस्त भूमि के संबंध में आदेश पारित किया गया था। इसलिए उनकी प्रार्थना पर यह अपील प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया था अब चूंकि पूर्ववर्ती अति. जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर श्री कर्णसिंह गोठवाल का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। दोनो पक्षो को भी उक्त प्रकरण को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के न्यायालय में वापिस मुन्तकिल किये जाने पर कोई आपति नही है। इसलिए उक्त अपील प्रकरणा को वापिस अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए स्थानान्तरित किया जाना उचित रहेगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
69/2016

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के न्यायालय में लंबित अपील संख्या 64/2014 अनवानी रामलाल बनाम सुनीलकुमार को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल करने का आदेश दिया जाता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर उक्त अपील प्रकरण को शीघ्र अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को भिजवावे। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर व अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर उक्त प्रकरण की नियमानुसार सुनवाई कर शीघ्र निस्तारण करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर